CF152

Single Bench

समक्ष न्यायालय श्रीमान् न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

व्यवहार पुनरीक्षण याचिका क्रं. 61 /04

श्री एच0 एल0 बाजपेयी वल्द स्व0 सी.के.वाजपेयी
उम्र 67 वर्ष, साकिन – कोरिनभाठा रोड,
जिला – राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) – **पुनरीक्षणकर्ता**

विरूद्ध

(1) **श्रीमती सुलोचनी बाई जौजे सुंदर राम**
उम्र 35 वर्ष. उम्र 35 व

(2) **श्री सुंदरराम साहू वल्द श्री नकछेद राम साहू**

क्रं0 1 एवं 2 साकिन – मोवापोस्ट सड्डू
तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) – **उत्तरवादीगण**

व्यवहार पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 115 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

XI-HC-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(21)

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक C.R. 61/04 सन् 200

..... विरुद्ध .....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	25/02/2005 Shri C.R.Sahu, counsel for the applicant. Heard. Learned counsel for the applicant seeks to withdraw this revision petition on the ground that the impugned order dated 27/09/2003 passed by Additional District Judge, Raipur and by which his appeal (application) under Order 9 Rule 13 of CPC for setting aside ex-parte award has been rejected and against that the present revision has been filed whereas the impugned order is appealable order. Accordingly, the revision is dismissed as withdrawn. **Sd/-** **Dhirendra Mishra** **Judge**	

Sagunra

(पीछे देखिये)